न्यायालय – मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलवर

क्रमांक– 2783 दिनांक– 24/06/25

संशोधित आदेश

अलवर न्याय क्षेत्र से पृथक कर अन्य दो नव–सृजित जिला घोषित होने के कारण माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर के निर्देशानुसार धारा **183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023** के कथन लेखबद्व करने के संदर्भ में इस कार्यालय द्वारा जारी पूर्व के **सम्पूर्ण आदेशों को अतिलंघित** करते हुए अलवर न्याय क्षेत्र के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा–13(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न आदेश जारी किये जाते है–

अन्वेषण अधिकारी/थानाधिकारी द्वारा दिनांक **24.06.2025** से बयान अंतर्गत धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत लेखबद्व कराये जाने वांछित हो और उनके द्वारा इस आशय का प्रार्थना–पत्र पेश किया जावे, तो उस थाने के निम्न **मुख्यालय** पर स्थित न्यायालय के सम्बन्ध में निम्नानुसार धारा–183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 बाबत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का निस्तारण किया जावेंगा ।

क0सं0	थाना/ क्षेत्राधिकार न्यायालय	धारा–183 बी एन एस एस के तहत लिये जाने वाले न्यायालय का नाम	कॉलम संख्या–3 के पीठासीन अधिकारी अवकाश पर होने/मुख्यालय से बाहर होने पर	कॉलम संख्या–4 के पीठासीन अधिकारी अवकाश पर होने/मुख्यालय से बाहर होने पर	कॉलम संख्या–5 के पीठासीन अधिकारी अवकाश पर होने/मुख्यालय से बाहर होने पर
1	2	3	4	5	6
01	Aravali Vihar / A.C.J.M.-3	A.C.J.M.-1, Alwar	A.C.J.M.-2, Alwar	A.C.J.M.-4, Alwar	A.C.J. & J.M.-1, Alwar
02	Vijay Mandir / A.C.J.& J.M.-1	A.C.J.M.-4, Alwar	A.C.J.M.-1, Alwar	A.C.J.M.-2, Alwar	A.C.J.M.-3, Alwar
03	Shivaji Park / A.C.J.& J.M.-3	A.C.J.M.-3, Alwar	A.C.J.M.-4, Alwar	A.C.J.M.-1, Alwar	A.C.J.M.-2, Alwar
04	Vashali Nagar / A.C.J.M.-4	A.C.J.M.-2, Alwar	A.C.J.M.-3, Alwar	A.C.J.M.-1, Alwar	A.C.J. & J.M.-1, Alwar

कॉलम संख्या–3 लगायत 6 तक के समस्त पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने एवं मुख्यालय से बाहर होने पर न्यायालय A.C.J.&J.M.-3, Alwar जिला अलवर द्वारा धारा–183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत बयान लेखबद्ध किये जावेंगे।

क्र0सं0	थाना/ क्षेत्राधिकार न्यायालय	धारा–183 बी एन एस एस के तहत लिये जाने वाले न्यायालय का नाम	कॉलम संख्या–3 के पीठासीन अधिकारी अवकाश पर होने/मुख्यालय से बाहर होने पर	कॉलम संख्या–4 के पीठासीन अधिकारी अवकाश पर होने/मुख्यालय से बाहर होने पर	कॉलम संख्या–5 के पीठासीन अधिकारी अवकाश पर होने/मुख्यालय से बाहर होने पर
1	2	3	4	5	6
05	Kotwali/ C.J.M. Alwar	A.C.J. & J.M.-2 Alwar	A.C.J. & J.M.-3 Alwar	A.C.J. & J.M.-4 Alwar	A.C.J. & J.M.-5 Alwar
02	M.I.A./ A.C.J.M.-5 Alwar	A.C.J.& J.M.-1 Alwar	A.C.J. & J.M.-2 Alwar	A.C.J. & J.M.-3 Alwar	A.C.J. & J.M.-4 Alwar
03	Sadar/ A.C.J.& J.M.-1 Alwar	A.C.J. & J.M.-4 Alwar	A.C.J. & J.M.-2 Alwar	A.C.J. & J.M.-3 Alwar	A.C.J. & J.M.-5 Alwar
04	Mahila / A.C.J. & J.M.-4 Alwar	A.C.J. & J.M.-5 Alwar	A.C.J. & J.M.-1 Alwar	A.C.J. & J.M.-2 Alwar	A.C.J. & J.M.-3 Alwar
05	N.E.B. / A.C.J.M.-2, Alwar	Spl. J.M. (N.I.Act Cases) No-2, Alwar	A.C.J. & J.M.-1 Alwar	A.C.J. & J.M.-3 Alwar	A.C.J. & J.M.-2 Alwar

कॉलम संख्या–3 लगायत 6 तक के समस्त पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने एवं मुख्यालय से बाहर होने पर न्यायालय A.C.J.M- Thanagazi, Alwar जिला अलवर द्वारा धारा–183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत बयान लेखबद्ध किये जावेंगे।

नोट–

01. किसी प्रकरण में माल अथवा मुलजिम की शिनाख्तगी की कार्यवाही नये संशोधित प्रावधानानुसार की जावेगी। इस प्रकार के प्रार्थना–पत्र सम्बन्धित थाने के क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में ही पेश किये जावेंगे और पीठासीन अधिकारी द्वारा इस प्रार्थना–पत्र पर विचार करते हुए शिनाख्तगी की कार्यवाही उपलब्ध कार्यपालक मजिस्ट्रेट से कराने के आदेश दिए जायेंगे।

02. माननीय उच्चतम न्यायालय के एस.एल.पी.(क्रिमिनल) नम्बर 5073/11 स्टेट आफॅ कर्नाटक बनाम शिवान्ना में पारित ओदश के निर्देशानुसार एवं प्रकिया की सुगमता के तहत धारा–183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में लेखबद्ध कथन अनुसंधान अधिकारी द्वारा प्रार्थना–पत्र पेश करने पर, ऐसे कथनों की प्रति अनुसंधान अधिकारी द्वारा इस आशय का घोषणा–पत्र पेश करने पर कि वह उक्त बयान में दर्ज कथन को किसी पर जाहिर नहीं करेंगे, तुरन्त अनुसंधान अधिकारी को लेखबद्ध बयान की प्रति न्यायिक मजिस्ट्रेट उपलब्ध करायेगें।

03 न्यायालय–A.C.J.&J.M.-3, Alwar एवं न्यायालय–A.C.J.M- Thanagazi, Alwar के पीठासीन अधिकारी अवकाश पर होने एवं मुख्यालय से बाहर होने की स्थिति में कार्यालय कमांक **2768** दिनांक 23–06.2025 एवं कार्यालय कमांक **2774** दिनांक 23.06.2025 द्वारा लिंक अधिकारीण द्वारा प्रार्थना–पत्र का निस्तारण किया जावेगां तथा महिला पीठासीन अधिकारी नहीं होने पर उस न्यायालय के लिंक पीठासीन अधिकारी के द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के पत्र कमांक 02/एस.आर.ओ./2024 दिनांक 24.01.2024 के अनुसार बयान लिये जावेंगे।

04. यदि विशेष परिस्थितियों में उपरोक्त व्यवस्थानुसार कार्य करना सम्भव न हो तो इसके सम्बन्ध में पृथक से प्रार्थना–पत्र अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे।

05. इस आदेश से पूर्व थानाधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्रो का निस्तारण पूर्व आदेश के अनुसार ही निस्तारित किये जायेंगे।

06. भविष्य में कॉलम नम्बर 3 लगायत 4 में अंकित पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो जाने पर उनके स्थान पर मेल पीठासीन अधिकारी का पदस्थापन होने पर आगामी कॉलम अनुसार बयान लेखबद्ध किये जावेंगे।

07. उक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अलवर
अलवर (राज०)

१८

कमांक– 2784-89 दिनांक– 24/06/25

प्रतिलिपि सूचनार्थ निम्न को सादर प्रेषित है–

01. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर

02. श्रीमान् जिला पुलिस अधीक्षक, अलवर

03. समस्त पीठासीन अधिकारी..........................

04. समस्त थानाधिकारी,.................................

05. कम्प्यूटर शाखा, अलवर (उक्त आदेशको साईट पर अपलोड करे)

06. कार्यालय प्रति / अध्यक्ष, बार एसोसियेशन अलवर

अर्चना गुप्ता

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

अलवर

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अलवर (राज०)